

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सीबी/निलम्बित/पुनरावलोकन/2018/1666

दिनांक : 26/9/18

-:: आदेश ::-

शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु-3) की आज्ञा क्रमांक प. 6(23)प्र. सु/अनु. 3/99 दिनांक 12.1.2011 के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में निलम्बित किये गये अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग के कर्मचारियों, जिन्होंने आपराधिक प्रकरणों में निलम्बित हुये तीन वर्ष से अधिक समय पूर्ण कर लिया है, उनमें अभियोजन स्वीकृति एवं संबंधित माननीय न्यायालय में चालान पेश हुये 1 वर्ष की समयावधि पूर्ण हो चुकी हो, इन्हें निलम्बन से बहाली हेतु पुनरावलोकन के संबंध में अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 31.07.2018 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में निम्न कर्मचारियों को उनकी उपस्थिति तिथि से न्यायालय निर्णय/विभागीय जांच के अध्याधीन राज्य सेवा में बहाल कर उनके नामों के सम्मुख अंकित स्थानों पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी, पद एवं निलम्बन से पूर्व पदस्थापन स्थान	निलम्बन आदेश क्रमांक व दिनांक	निलम्बन पर वर्तमान में मुख्यालय	बहाली पर पदस्थापन स्थान
1.	श्री अनिल पारीक, क०सहा०, सहायक औषधी नियंत्रक कार्यालय श्रीगंगानगर	270/08.04.2015	बीसीएमओ रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के अधीन रिक्त पद पर
2.	श्री कैलाश चन्द, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सहायक औषधी नियंत्रक कार्यालय श्रीगंगानगर	270/08.04.2015	बीसीएमओ रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के अधीन रिक्त पद पर
3.	श्री गणेश दत्त गौतम, लै०टे०, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा	1662/27.12.2013	सीएमएचओ-बून्दी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के अधीन रिक्त पद पर
4.	श्री डी०एन० मंगल, स्वा० निरीक्षक, मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधि०, कोटा	1663/27.12.2013	संयुक्त निदेशक, जोन-बीकानेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा के अधीन रिक्त पद पर
5.	श्री प्रकाश पाटीदार, वरि० सहा०, खण्ड मुख्य चिकि० अधि०, सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर	166/23.02.2015	सीएमएचओ-डूंगरपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के अधीन रिक्त पद पर
6.	श्रीमती विमला चौधरी, म०स्वा० कार्य०, उप स्वास्थ्य केन्द्र, रजवास, खण्ड-निवाई जिला टोंक	सीएमएचओ टोंक के आदेश क्रमांक 1260/17.04.2015 द्वारा तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक 643/15.06.2015 द्वारा अनुमोदन	पीएमओ-टोंक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चुरू के अधीन रिक्त पद पर

उक्त सभी कार्मिकों को उनके वर्तमान मुख्यालय के संबंधित नियंत्रक अधिकारी तत्काल संबंधित कार्मिकों को उनके बहाली पर पदस्थापन स्थान के लिये मुक्त कर पालना से अवगत करावें।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज० जयपुर

लगातार.....

(2)

क्रमांक : सीबी/निलम्बित/पुनरावलोकन/2018/1666

दिनांक : 26/9/18

प्रतिलिपि: निम्न को सूघनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक (जन स्वा./आरसीएच) मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये जोन बीकानेर/कोटा/उदयपुर /अजमेर/जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके संभाग से संबंधित निलम्बित कार्मिकों को बहाली पर पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी कार्यमुक्ति बाबत् निर्देश जारी करें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर/कोटा/डूंगरपुर/टोंक/बीकानेर/बूंदी/बाड़मेर/सिरोही/भीलवाड़ा/चुरू।
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, टोंक।
10. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायसिंहनगर, जिला ~~श्रीगंगानगर~~ सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर/निवाई, जिला टोंक।
11. सहायक औषधि नियंत्रक, श्रीगंगानगर।
12. प्रभारी अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा।
13. प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित/नर्सिंग/डीपीसी अनुभाग मुख्यालय।
- ✓ 14. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
15. संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
16. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राज0 जयपुर